रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218683
CG-DL-E-14032020-218683

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
No. 119] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सं. बी-20018/5/2012-प्रशा.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के साथ, बोर्ड विधि अधिकारी (लॉ ऑफिसर) के पद हेतु निम्नलिखित विनियम प्रस्तुत करता है:

1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ -**

i. इन नियमों को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, विधि अधिकारी भर्ती विनियम, 2018** कहा जा सकता है ।

ii. शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये विनियम प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड व ग्रेड पे अथवा वेतनमान** - इस पद के लिए पदों की संख्या, वर्गीकरण व वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) मे दिए गए है ।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आदि -** इस पद के लिए भर्ती की विधि, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आदि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए हैं ।

4. **अपात्रता –** कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने:

क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या समरूपी अनुबंध किया हो, जिसका जीवनसाथी है; या

ख) एक जीवित जीवनसाथी के होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह या समरूपी अनुबंध किया हो;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि इस तरह के व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसी शादी की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे।

5. **रियायत/छूट देने का अधिकार-** जहां केंद्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों के प्रावधानों के संबंध में किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दे सकता है।

6. **बचत** - इन विनियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्ग	पे मैट्रिक्स में स्तर	चयनित पद या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
विधि अधिकारी	एक	समूह 'क'	लेवल-12 (₹78,800-2,09,200) सातवें सीपीसी के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोमोटी के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	भर्ती का तरीका: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानंतरण और अन्य तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समामेलन किया जाए
8	9	10	11
लागू नहीं	**लागू नहीं**	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकार या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारी: (क) (i) मूल सम्वर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों, या (ii) मूल संवर्ग या विभाग मे 7वीं सीपीसी के अनुसार लेवल 11 (67,700-2,08,700) के वेतनमान पर 5 वर्ष की नियमित सेवा **एवं** (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ व अनुभव : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि (ii) अनुबंध संबंधी मामलों/पंचाट/ विधायी मामलों/भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून के क्षेत्र में 9वर्ष का अनुभव **नोट 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष होगी **नोट 2:** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक न हो **नोट 3:** का.ज्ञा. F.No. 4/78/2006-P&PW(D) दिनांक 12.10.2015 के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु तत्कालीन समामेलन नियम से छूट आवश्यक नहीं

यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती हेतु यूपीएससी से सलाह की परिस्थिति
12	13
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड की 8.7.1985 की अधिसूचना सं. के-14011/13/85-रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के अनुसार कार्मिक समूह का गठन किया गया है। कार्मिक समूह द्वारा चयन के पश्चात बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से नियुक्ति की जाएगी ।	लागू नही

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./503/19]

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

(MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

No. B-20018/5/2012-Admin.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985, the Board hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the following regulations for the post of Law Officer:-

1. **Short title and commencement-**

 i. These regulations may be called the **National Capital Region Planning Board (Law Officer) Recruitment Regulations, 2018.**

 ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale**-The number of posts, classification, and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column(5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications-**No person-

 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living:

 or

 (b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category or persons.

6. **Savings-**Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection Post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Law Officer	One	Group 'A'	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th CPC	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)	**Deputation:** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th CPC; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience- (i) Bachelor Degree in Law from a recognized University/Institute; and (ii) 9 years experience in handling the legal matters pertaining to contractual matters/arbitration/legislative matters/land acquisition cases. **Note 1-** Period of deputation shall be four years. **Note 2-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be **not exceeding fifty six years,** as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3-**The exemption from rule of immediate absorption is not required for appointment on deputation as per instructions of DoP&PW O.M. F.No.4/78/2006-P&PW (D) dated 12.10.2015.

India Code

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group, as per the NCRPB Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985.	Not applicable.

ARCHANA AGRAWAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./503/19]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.14 17:38:24 +05'30'